संख्या-21/2023/1115/26-3-2023

प्रेषक

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 मार्च 2023

विषय- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एन0एस0ए0पी0 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग में कार्यरत जनपदीय/मण्डलीय/निदेशालय/शासन स्तर के अधिकारियों को एन0एस0ए0पी0 के प्रशासनिक व्यय से किराये पर वाहन की व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-2018/स0क0/एन0एस0ए0पी0/वाहन/2022-23, दिनांक-31.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभाग में कार्यरत जनपदीय, मण्डलीय, निदेशालय एवं शासन स्तर के अधिकारियों को शासकीय कार्य हेतु किराये पर वाहन-सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एन0एस0ए0पी0 के प्रशासनिक व्यय से किराये पर वाहन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

2- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-2825/26-3-2022, दिनांक-07.12.2022 के माध्यम से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0) के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग में कार्यरत जनपदीय/मण्डलीय/निदेशालय स्तर के अधिकारियों को एन0एस0ए0पी0 के प्रशासनिक व्यय से किराये पर वाहन की व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए उक्त शासनादेश के प्रस्तर-6 में मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रख्यापित किये गये हैं।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में उपरिवर्णित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।